



दक्षिण मध्य रेलवे SOUTH CENTRAL RAILWAY

प्रमुख वित्त सलाहकार का कार्यालय

PRINCIPAL FINANCIAL ADVISER'S OFFICE

रेल निलयम RAIL NILAYAM, सिकंदराबाद SECUNDERABAD

कार्यालय आदेश सं./OFFICE ORDER NO.113/2021 दि./DATED 26-11-2021

श्रीमती वाई रामलक्ष्मी, पत्नी स्वर्गीय श्री वाई प्रकाश, पूर्व लेखा सहायक को एसीएचडी/सीएच/एलजीडी द्वारा सीवीईई_आई में एमसी नंबर 0704 दिनांकित 29.09.2021 द्वारा लेखा लिपिक के पद के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट घोषित करने पर VII कें.वे.आ. के लेवल -2 में वेतन बैंड- I (अर्थात् 5200-20200/- रु.), ग्रेड वेतन रु. 1900/- रु. में प्रारंभिक वेतन 19,900 /- रु. पर अस्थाई लेखा लिपिक के रूप में अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया जाता है. उन्हें व्यय अनुभाग, प्रविस/का/सिकंदराबाद में तैनात किया जाता है.

Smt. Y Ramalakshmi W/o Late Shri. Y Prakash, Ex. AA, having declared medically fit for the post of Accounts Clerk by ACHD/CH/LGD vide MC No. 0704 dated 29.09.2021 in BEE_ONE and below with glasses for DV, is appointed as Temporary Accounts Clerk in Pay Band-I (i.e. Rs. 5200-20200/-) with GP Rs. 1900/- on initial pay of Rs. 19,900/- in Level-2 of VIICPC on compassionate grounds. She is posted to Expenditure Section, PFA/O/SC.

वह ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने की तारीख से समय-समय पर स्वीकार्य वेतन और भत्ते प्राप्त करने की पात्र हैं. उनकी वरीयता की गणना उनके द्वारा प्रविस कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से की जाएगी.

She is eligible to draw pay and allowances as admissible from time to time from the date she reports for duty. Her seniority will be reckoned from the date she join in PFA Office.

उनकी नियुक्ति पहले दो वर्षों के लिए पूरी तरह से अस्थायी है, जिसमें से वह परिवीक्षा पर रहेगी और जब तक वह सेवा में बनी रहेंगी, सभी प्रयोजनों के लिए मुख्यालय लिपिक वरीयता यूनिट से संबंधित मानी जाएगी.

Her appointment is purely temporary for the first two years of which she will be on probation and as long as she is retained in service, will for all purposes be treated as belonging to HQRS clerical seniority unit.

सेवा में उनका आगे बने रहना नियुक्ति की तारीख से तीन साल की अवधि के भीतर दो अवसरों का लाभ उठाते हुए प्रशिक्षण के सफल समापन और अपेक्षित एपीपी. II आईआरईएम परीक्षा उत्तीर्ण करने पर निर्भर करेगा. वह केवल एपीपी. II A परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर या एक वर्ष की सेवा पूरी करने पर, जो भी बाद में हो, वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने के लिए पात्र है.

Her further retention in service will depend on her successful completion of training and passing the requisite App.II IREM Examination within a period of three years from the date of appointment availing two chances. She is eligible to draw annual increment only on passing of App.II A examination or one year of service whichever is later.

वह रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या एफ(ई)/III/2003/पीएनआई/24 दिनांकित 31-12-2003 में निर्धारित उदारीकृत अवकाश नियमों और नई पेंशन योजना द्वारा शासित होंगी.

She will be governed by the liberalized leave rules and new Pension scheme as laid down in the Railway Board's Letter No. F(E)/III/2003/PNI/24 dated 31-12-2003.

(Contd.....2)

Handwritten signature
26/11/2021

वह सेवा की समाप्ति या उसके एवज में वेतन के किसी भी नोटिस की हकदार नहीं होंगी, यदि ऐसी सेवा की समाप्ति उस पद की स्वीकृति की समाप्ति के कारण है जो उसके पास है या स्थानापन्न रिक्ति की समाप्ति पर है या मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षमता के कारण है या भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के खंड (2) के अनुपालन के बाद अनुशासनात्मक आधार पर उन्हें हटाना या बर्खास्त करना, अन्यथा, उसकी सेवा को दोनों ओर से एक महीने के नोटिस पर समाप्त कर दिया जाएगा या उसके बदले में भुगतान किया जाएगा.

She will not be entitled to any notice of termination of service or pay in lieu thereof, if such termination is due to expiry of sanction of the post which she holds or on expiry of the officiating vacancy or is due to mental or physically incapacity or to her removal or dismissal as a disciplinary measure after compliance of clause (2) of Article 311 of the Constitution of India, otherwise, her service will be terminated on one month notice on either side or pay in lieu thereof:

उन्हें प्रशासन द्वारा समय-समय पर अपेक्षित प्रशिक्षण/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम प्राप्त करना होगा. रेलवे बोर्ड के दिनांक 20-05-1994 के पत्र संख्या ई/एनजी/94-आरसी-1/35 के अनुसार उन्हें नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट की टाइपराइटिंग दक्षता परीक्षा पास करनी होगी.

She will have to undergo training/refresher course as required by the Administration from time to time. She is required to pass typewriting proficiency test of 30 w.p.m. in English or 25 w.p.m. in Hindi within a period of two years from the date of appointment in terms of Railway Board's letter No. E/NG/94-RC-1/35 dated 20-05-1994.

वह इसके लिए भी उत्तरदायी है, यदि प्रादेशिक सेना की रेलवे इंजीनियरी यूनिटों में सैन्य सेवा के लिए प्रादेशिक सेना सेवा में सात वर्ष की अवधि के लिए और प्रादेशिक सेना रिजर्व में आठ वर्ष की अवधि के लिए या समय-समय पर ऐसी अवधि के लिए जो इसमें निर्धारित की जा सकती है.

She is also liable, if so required for Military Service in the Railway Engineering units of the Territorial Army for a period of seven years in the Territorial Army service and eight year in the Territorial Army Reserve or for such period as may be laid down in this behalf from time to time.

यदि उसका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं विना कोई कारण बताए या नोटिस दिए/विना समाप्त की जा सकती हैं.

Her services may be dispensed with/without assigning any reason or notice if her performance is not found satisfactory.

(जे. वैष्णव/ J.Vaishnavi)

वसविस मा/ Sr.AFA/G

कृते प्रविम/सिकं for PFA /SC.

दि/ Dated : 26-11-2021

सं.No. एएनजीAAD/पीP11

प्रतिलिपि/Copy to : Sr.AFA/Estt.NG, , Sr.AFA/PF& PN, AFA/EXP
SSO(A)/Admn Bills, SSO(A)/Pass, OO File,
P.File, Individual

कृते प्रविम/सिकं for PFA/SC.